न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—31 / 2022 (2022 / 398) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीपलाल पिता प्यारेलाल माहस निवासी हरदोखानपुर जिला होशियारपुर, पंजाब

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. स्वयं प्रार्थी — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—21.12.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 96 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.42 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि खाता संख्या 143 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी सदैव से अपनी उक्त वर्णित आराजी में आवागमन, पैदल, संज, बैल, बैलगाड़ी आदि से बिलानाम आराजी संख्या 115 गै.मु. रास्ता से होते हुए बिलानाम आराजी संख्या 94 रकबा 0.63 है0 गे0मु0मंगरी से होकर आवागमन करता है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 96, 97 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 115 गे.मु. रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 94 मे से ही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 96, 97 में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमाया जावे एवं रास्ते में समायोजित होने होने वाला रकबा की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम मोखुन्दा के बिलानाम खसरा नम्बर 94 रकबा 0.50 है0 किस्म गे.मु. मंगरी दर्ज रेकार्ड है जो आराजी संख्या 115 रकबा 0.63 है0 गै.मु. रास्ता से लगती हुई है से आवागमन कर रहा है मौके पर रास्ता आराजी संख्या 94 में बना हुआ है। मौके पर आराजी संख्या 94 में रास्ता बन्द नही है। मौके पर आराजी संख्या 94 से होकर वादी अपनी आराजी में

आवागमन कर रहा है। यह कि मौके पर आराजी संख्या 94 आता है जिसमें से रास्ता हेतु आवागमन किया जा सकता है जिसका रास्ते हेतु 1080 वर्गमीटर भूमि आती है। डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि 99295 रूपये राशि बनती है। यह कि चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 96, 97 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 94 रकबा 0.50 है0 मे से रकबा 0.1080 है0 भूमि (यानि 1080 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 459700/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 49648/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 99296/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

(राजेश मुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—31 / 2022 (2022 / 398) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—जगदीपलाल पिता प्यारेलाल माहस निवासी हरदोखानपुर जिला होशियारपुर, पंजाब

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 96, 97 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 94 रकबा 0.50 है0 मे से रकबा 0.1080 है0 भूमि (यानि 1080 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 459700 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 49648 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 99296 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा)